न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम मैसर्स शर्मा इण्डस्ट्रीज जरिये भागीदार मनोज शर्मा प्रार्थना पत्र संख्या 84/2025 अर्न्तगत धारा 177 राज.काश्तकारी अधिनियम ।	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

14-8-2025

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण तहसीलदार लूणी द्वारा अपने पत्र कमांक राजस्व/2024/836 दिनांक 18.07.2024 के द्वारा प्रकरण अर्न्तगत धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम का पेश कर अप्रार्थी द्वारा ख.स. 34/19 ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी की कृषि भूमि का बिना संपरिवर्तन करवाए व्यावसायिक प्रयोजन अर्थात गैर कृषि प्रयोजन कार्य किया जाने पर अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि को सिवायचक भूमि दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजस्व रैकर्ड एवं मौके यथास्थिति हेतु अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 22.05.2025 को जारी किया गया। अप्रार्थी को समन जारी किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता अनोपसिंह सोलंकी की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कथन किया गया कि ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी के खसरा नम्बर 34/49 भूमि अप्रार्थीगण के खातेदारी की है। उक्त भूमि का मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि मैंने मेरी भूमि को कृषि आधारित उद्योग हेतु संपरिवर्तित करवाने के लिए धारा 90–ए भू–राजस्व अधिनियम के तहत जोधपुर विकास प्राधिकरण में विचाराधीन हैं, जिसके न. LU2012/JDO/2022-23/101449, South Zone Jodhpur. है। कोई भी किसान अपनी भूमि पर बिना सपरिवर्तन करवाये ही कृषि से संबंधित उद्योग लगा सकता है एवं उसे उपयोग एवं उपभोग में ला सकता है। अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है, जो हानिप्रद हो एवं किसी भी शर्त की अवहेलना करता है तथा मौके पर अप्रार्थी द्वारा कोई भी विधि विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है। हल्का पटवारी द्वारा बिना मौके देखे, बिना जांच किये एवं सुचित किये ही कार्यवाही की गई है। उक्त तथ्यों के अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश कर अन्तर्गत 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण को ड्रॉप फरमाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान् सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जवाब एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं बहस का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के जबाव का अवलोकन किये जाने पर स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि को कृषि आधारित उद्योग हेतु संपरिवर्तित करवाने के लिए धारा 90–ए भू–राजस्व अधिनियम के तहत जोधपुर विकास प्राधिकरण में धारा 90–ए के तहत आवेदन किया जा चुका है, जो कि विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा पेश संपरिवर्तन आवेदन का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपनी भूमि पर बिना संपरिवर्तन करवाये ही कृषि से संबंधित उद्योग लगाने हेतु अवगत करवाया है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध निराधार होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अप्रार्थी के जबाव तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी